उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-27/968 /37-1-2016-2(14)/2015

लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2016

<u>कार्यालय-आदेश</u>

एतद्द्वारा श्री राज्यपाल, निम्नलिखित नव प्रोन्न्त उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 4 में अंकित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैः-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ जनपद	ज्येष्ठता क्रमांक	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	डा0 सुरेन्द्र कुमार, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, शामली	768	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, कसया, जनपद-कुशीनगर ।
2	डा0 प्रवीश चन्द्र धर द्विव्रदी, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, बस्ती	1022	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, नौतनवा, जनपद-महाराज गंज।
3	डा0 राजेन्द्र कुमार शर्मा, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अलीगढ	1023	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अलीगढ, जनपद-एटा।
4	डा0 सुरेन्द्र कुमार-।।, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव	1064	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात।
5	डा0 अरूणेश कुमार, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अमेठी	1066	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, फरीदपुर, जनपद-बरेली।(स्वनुरोध पर) ।
6	डा0 उमेश सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर	1082	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुधन विकास, जनपद-गाजीपुर।(स्वनुरोध पर)
7	डा0 लोकेश कुमार अग्रवाल, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, शामली	1095	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य, जनपद-बागपत ।
8	डा0 राजेश कुमार-।।।, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, रामपुर	1117	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चकनगर, जनपद- इटावा।

2- सम्बन्धित अधिकारी आदेशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करें।

रजनीश गुप्ता
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-27/2016/968 /37-1-2016-2(14)/2015, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक(प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- संयुक्त निदेशक(प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- सम्बन्धित अपर निदेशक(ग्रेड-2) द्वारा निदेशक(प्रशा0 एवं वि0), पशुपालन विभाग।
4- सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा निदेशक(प्रशा0 एवं वि0), पशुपालन विभाग।
5- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निदेशक(प्रशा0 एवं वि0), पशुपालन विभाग।
6- सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा निदेशक(प्रशा0 एवं वि0), पशुपालन विभाग।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

दया शंकर सिंह
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in